राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 852/2016/उदयपुर.

मैसर्स दया स्टोन,
रेलवे स्टेशन, देबारी, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/03/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश संख्या 11/15–16/कर दिनांक 27.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत–'बी', उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) के तहत पारित एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश को पुनः खोलने हेतु धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी फर्म का वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण दिनांक 25.02.2011 को एक पक्षीय पारित किया गया था, जिसे अधिनियम की धारा 34 के तहत अपास्त करने हेतु उपायुक्त(प्रशासन), उदयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर यह आवेदन किया गया था कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था, जिसे उपायुक्त प्रशासन द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 18.02.2011 को पत्रावली के आदेश पत्र में यह लिखा है कि पूर्व में दिनांक 26.09.2010 को नोटिस जारी किया गया था। अतः नोटिस की तामीली मानते हुये सुनवाई का अवसर दिया जाना मानकर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

लगातार.....2

4. उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर उदयपुर के आदेश दिनांक 27.01.2016 के अवलोकन से ही यह स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 25.02.2011 को जो आदेश पारित किया गया है वह बिना कोई सुनवाई का नोटिस दिये ही पारित किया गया है क्योंकि स्वयं उपायुक्त प्रशासन ने सुनवाई का नोटिस दिनांक 26.09.2010 देना बताया है जबकि यह आदेश दिनांक 25.02.2011 को किया गया है। इस तथ्य पर और अधिक गौर किये जाने पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध आदेश पत्र दिनांक 18.02.2011, 25.02.2011 पुनः 25.02.2011 एवं पुनः 25.02.2011 में उल्लेखित आदेशों का अवलोकन करने पर यह पाया कि उपायुक्त(प्रशासन) द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध इस आदेश पत्र को पढ़े बिना ही आदेश पारित किया है क्योंकि यह विवादित कर निर्धारण आदेश वाणिज्यि कर अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जबकि दिनांक 18.02.2011 को पत्रावली के आदेश पत्र में जो विवरण दिया गया है वह वा.क.अ. का न होकर स.वा.क.अ. द्वारा दिया गया है जिसमें स.वा.क.अ. द्वारा दिनांक 18.02.2011 को ही यह अंकित किया है कि कर निर्धारण हेतु दिनांक 28.02.2011 की तारीख के लिये नोटिस जारी किये जावें। इसी क्रम में दिनांक 18.02.2011 को वैट 14 के प्रारुप में नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सुनवाई दिनांक 28.02.2011 नियत की गई है, जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 4 पर उपलब्ध है। यह नोटिस जारी करने के बाद दिनांक 25.02.2011 को ही स.वा.क.अ. ने पुनः आदेश पत्र पर यह निर्देश दिया कि इस अपीलार्थी के जमानती मैसर्स फर्स्ट गियर आटोमोबाइल को भी नोटिस जारी किया जावें व दिनांक 17.03.2011 नियत की जावें। उसके पश्चात पुनः 25.02.2011 को स.वा.क.अ. ने आदेश पत्र में यह उल्लेख किया है कि "पत्रावली पेश, चूंकि व्यवसायी के उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वार्षिक टर्नओवर वा.क.अ. के स्तर का है अतः पत्रावली वाक. अ. वृत–बी उदयपुर को भेजी जावें।" उसके पश्चात उसी दिन दिनांक 25.02.2011 को वा. क.अ. द्वारा बिना नोटिस दिये आदेश पत्र में उल्लेख किया कि पत्रावली पेश एवं कर निर्धारण किया जाता है।

5. उक्त तथ्यों के उल्लेख से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवेक विहिन आदेश पारित किया गया है क्योंकि इस आदेश पत्र से यह प्रमाणित है कि कर निर्धारण किये जाने हेतु सहायक वाणिज्यिकर कर अधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2011 के लिये नोटिस जारी किया गया था एवं दिनांक 25.02.2011 को ही स.वा.क.अ द्वारा पत्रावली वा.क.अ. को भेजी गई एवं वा.क.अ. द्वारा बिना कोई विचार किये एवं आदेश पत्र का बिना कोई पठन किये दिनांक 25.02.2011 को ही कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। इस आदेश में यह भी लिखा गया है कि वर्ष 2008–09 के विवरणी प्रस्तुत करने हेतु सम्मन दिये गये किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ जबकि वाणिज्यिक कर अधिकारी जिनके द्वारा यह आदेश पारित किया है उन्हें यह पत्रावली दिनांक 25.02.2011

लगातार.....3

को ही प्राप्त हुई एवं उसी दिन उनके द्वारा आदेश भी पारित किया गया, जिससे यह प्रमाणित है कि उनके द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं यहां तक भी माना जाये कि उनके अधीनस्थ स.वा.क.अ. द्वार पूर्व में नोटिस जारी किया गया था तब भी उस नोटिस में दिनांक 28.02.2011 की तारीख नियत थी परन्तु वा.क.अ. द्वारा दिनांक 25.02.2011 को ही अर्थात नोटिस में अंकित तिथि के पूर्व ही एवं स्वयं द्वारा कोई नोटिस जारी किये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया, जो यह पुष्टि करता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किये आदेश पारित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर उदयपुर द्वारा दिनांक 18.02.2011 की आदेश पत्र को पढ़ना बताया है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा पत्रावली के आदेश पत्र को नहीं पढा गया एवं उनके द्वारा भी विवेक का उपयोग न करते हुये उक्त तथ्यों के होते हुये कि कर निर्धारण अधिकारी (वा.क.अ.) द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किये आदेश पारित किया गया है, अपीलार्थी का धारा 34 के तहत दिया गया प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया।

6. फलतः प्रशासनिक अधिकारी का आदेश दिनांक 27.01.2016 एवं कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.02.2011 अपास्त किये जाकर प्रकरण क.नि.अ. को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, पुनः कर निर्धारण अधिकारी आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवसायी को भी निर्देश दिये जाते है कि दिनांक 10.04.2018 को क.नि.अ. के समक्ष उपस्थित होकर विवरण पत्र व लेखा पुस्तकें जांच हेतु प्रस्तुत करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 10.04.2018 को यदि अपीलार्थी फर्म अपने समस्त विवरण पत्र एवं लेखा पुस्तकें कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते है तो यह माना जायेगा कि वे सुनवाई का अवसर नहीं लेना चाहते तब कर निर्धारण अधिकारी स्वविवेक से उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पुनः एकपक्षीय आदेश पारित कर सकेगें। उक्त स्पष्ट निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य